राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 830वी बैठक दिनांक 15.02.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 830वीं बैठक दिनांक 15.02.2024 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

प्रबंध संचालक, दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. भोपाल के पत्र क्र. 1448 दिनांक 13.02.2024 में किये गये अनुरोध अनुसार कि

"निगम की संलग्न सूची अनुसार बी–1 श्रेणी की रेत खदानों के कुल 42 प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति की अवधि वृद्धि हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 720वी एवं 721वी बैठक दिनांक 05–06 फरवरी 2024 में अनुशंसा की गई है।

रेत का उपयोग विभिन्न शासकीय एवं निजी निर्माण/विकास में होता है एवं रेत का निर्बाध आपूर्ति न सिर्फ विकास कार्यो हेतु अनिवार्य है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन का साधन भी है। साथ ही वह खदाने सामान्यतः सुदूर पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित है, जिनका संचालित रहना इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु आवश्यक है।"

उपरोक्तानुसार निगम द्वारा उक्त 42 रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति की अवधि में वैधता वृद्धि के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही कर SEIAA की आगामी बैठक में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा प्रबंध संचालक, दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. भोपाल के पत्र क्र. 1448 दिनांक 13.02.2024 द्वारा किये गये अनुरोध को मान्य करते हुए राज्य शासन की प्राथमिकता एवं रेत की उपलब्धता के दृष्टिगत SEAC की 720वी एवं 721वी बैठक दिनांक 05–06 फरवरी 2024 में रेत खदानों के पर्यावरण स्वीकृति की वैधता वृद्धि के 42 अनुशंसित प्रकरणों **पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात** निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	7918/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
2.	7917/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
3.	7903/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
4.	7899/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
5.	7974/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
6.	8376/2021	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
7.	8900/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

8.	8907/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
9.	8905/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
10.	8906/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
11.	8908/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
12.	8904/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
13.	8901/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
14.	9333/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
15.	8419/2021	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
16.	9324/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
17.	9332/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
18.	8903/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
19.	8902/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
20.	8393/2021	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
21.	8303/021	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
22.	7863/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
23.	7864/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
24.	8311/2021	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
25.	7805/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
26.	7808/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
27.	8306/2021	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
28.	7807/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
29.	7806/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
30.	8304/2021	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
31.	7673/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
32.	8305/2021	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
33.	7697/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
34.	9322/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
35.	8626/2021	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
36.	8625/2021	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
37.	8394/2021	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
38.	8663/2021	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

39.	7543/2020	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
40.	8624/2021	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
41.	8377/2021	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
42.	9323/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत

1. **प्रकरण क्र. 7918/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर सिंह तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 6.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 574, ग्राम टीला, तहसील नौगॉव, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	*Case No*	*EC issued Date*	*EC validity mentioned in EC*	*To be extended upto*	*EC quantity (Cum)*	*CER/Plantation*
Tila 2	*7918/20*	*20-Mar-23*	*30-June-2023*	*19-Mar-2028*	*30000*	*Partially completed*

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें**तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात्*

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

ही परिवहन किया जायेगी ।

8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*

9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*

10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति क्र. EC23B001MP134670 दिनांक 20/03/2023 की शेष अवधि दिनांक 19.03.2028 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला **सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत** माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन **योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति क्र. EC23B001MP134670 दिनांक 20/03/2023 में निहित समस्त शर्ते यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

2. **प्रकरण क्र. 7917/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर सिंह तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 6.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1540/1, ग्राम पडवार, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Padwaar-2	7917/20	07-Mar-23	30-June-2023	06-Mar-2028	20000	Partially

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

						completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें** तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
11. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC23B001MP110695 दिनांक 07/03/2023 की शेष अवधि दिनांक 06.03.2028 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 830वी बैठक दिनांक 15.02.2024 का कार्यवाही विवरण

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC23B001MP110695 दिनांक 07/03/2023 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. **प्रकरण क्र. 7903/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर सिंह तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 70,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.20 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 332, ग्राम धौरारा, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Dhaurara	7903/20	07-Mar-23	30-June-2023	06-Mar-2028	70000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें** *तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।

7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*

8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*

9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*

12. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें। "*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC23B001MP110592 दिनांक 07/03/2023 की शेष अवधि दिनांक 06.03.2028 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC23B001MP110592 दिनांक 07/03/2023 में निहित समस्त शर्ते यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. **प्रकरण क्र. 7899/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर सिंह तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 14.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 697/1, ग्राम नेहरा, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Nehra	7899/2020	20-Mar-23	30-June-2023	19-Mar-2028	100000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें। "*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. **EC23B001MP112376** दिनांक **20/03/2023** की शेष अवधि दिनांक 19.03.2028 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत** माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त **मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में** से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC23B001MP112376 दिनांक 20/03/2023** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक **व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

5. प्रकरण क्र. 7974/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर सिंह तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 10.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 472/2, ग्राम बारबंद–4, तहसील गौरिहार, जिला **छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	*Case No*	*EC issued Date*	*EC validity mentioned in EC*	*To be extended upto*	*EC quantity (Cum)*	*CER/Plantation*
Baarbandh-4	*7974/20*	*09-Feb-23*	*30-June-2023*	*08-Feb-2028*	*80000*	*Partially completed*

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें** *तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें*

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।

6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें। "*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC23B000MP157274 दिनांक 09/02/2023 की शेष अवधि दिनांक 08.02.2028 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत** माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं **SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में** से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC23B000MP157274 दिनांक 09/02/2023 में** निहित समस्त शर्ते यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक **व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

6. **प्रकरण क्र. 8376/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरनलाल लक्षकार , निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 76,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 8.093 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 120, ग्राम नहलाई, तहसील रेहटी , जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Nahlai	8376/2021	15-Jun-22	30-June-2023	14-Jun-2027	76000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें** तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में*

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित **अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016** में निहित प्रावधानों के अनुरूप **पूर्व** पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP158287** दिनांक **15/06/2022** की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का **निर्णय लिया गया :–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तो के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP158287 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. **प्रकरण क्र. 8900/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2,85,855 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 23.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 300, 311, ग्राम जहाजपुरा–3, तहसील रेहटी , जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Jahajpura-3	8900/2022	15-Jun-22	30-June-2023	14-Jun-2027	285855	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।

5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*

6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*

7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*

8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*

9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*

10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP130072 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP130072 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

8. प्रकरण क्र. 8907/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 24,510 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.140 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 146, ग्राम चरूआ, तहसील रेहटी , जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Charua	8907/2021	15-Jun-22	30-June-2023	14-Jun-2027	24510	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*

10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें। "*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP119708 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तो के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत** माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त **मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में** से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP119708 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्ते यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र. 8905/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,71,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 10.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 155/1/1, ग्राम जनवासा–3, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Janwasa-3	8905/2021	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	171000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Mining Officer.

2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें*** *तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें। "*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP198612 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP198612** दिनांक **15/06/2022** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 8906/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,98,300 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 12.950 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 104/2, ग्राम सोमलवाड़ा, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Somalwada	8906/2021	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	198300	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें** *तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का*

(संजीव सिंह) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*

10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें। "*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित **अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में** निहित प्रावधानों के अनुरूप **पूर्व** पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP141054** दिनांक **15/06/2022** की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का **निर्णय लिया गया :–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला **सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत** माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन **योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP141054** दिनांक **15/06/2022** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. **प्रकरण क्र. 8908/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2,16,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 16.187 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 893/852, 852, ग्राम सरदारनगर, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	*Case No*	*EC issued Date*	*EC validity mentioned in EC*	*To be extended upto*	*EC quantity (Cum)*	*CER/Plantation*
Sardarnagar	*8908/2022*	*15-Jun-2022*	*30-June-2023*	*14-Jun-2027*	*216000*	*Partially completed*

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP127822 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP127822 दिनांक 15/06/2022** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक **व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

12. प्रकरण क्र. 8904/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,99,329 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 20.995 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 263/212, ग्राम महूकला, तहसील बुधनी, जिला **सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की** वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Mahukala	8904/2022	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	199329	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात्*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

ही परिवहन किया जायेगी ।

8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*

9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*

10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें। "*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP179935 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत** माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त **मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में** से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP179935 दिनांक 15/06/2022 में** निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक **व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

13. **प्रकरण क्र. 8901/2021** परियोजना प्रस्तावक दि **म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि.**, अधिकृत व्यक्ति **श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2,02,380 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 15.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 155/1/1, ग्राम जनवासा–4, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	*Case No*	*EC issued Date*	*EC validity mentioned in EC*	*To be extended upto*	*EC quantity (Cum)*	*CER/Plantation*
Janwasa-4	*8901/2022*	*15-Jun-2022*	*30-June-2023*	*14-Jun-2027*	*202380*	*Partially*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

						completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें** *तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP166465 दिनांक 15/06/2022 की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 830वी बैठक दिनांक 15.02.2024 का कार्यवाही विवरण

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP166465 दिनांक 15/06/2022** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक **व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

14. **प्रकरण क्र. 9333/2022 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री सत्येन्द्र सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल** (म0प्र0) द्वारा रेत **खदान** (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन **क्षमता** 2,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (**SEAC** द्वारा अनुशंसित), **रकबा** 14.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 225/1, **ग्राम** सतरावन–1, तहसील बरैली, जिला **रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Satrawan-1	9333/2022	06-April-23	30-June-23	05-April-28	200000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें*** *तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।

7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC23B001MP120048 दिनांक 06/04/2023 की शेष अवधि दिनांक 05.04.2028 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC23B001MP120048** दिनांक **06/04/2023** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक **व सर्व संबंधितों को** सूचित किया जाये।

15. **प्रकरण क्र. 8419/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 74,822 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 16.667 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 352/340, ग्राम बघबाड़ा, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Baghwada	8419/2021	15-Jun-2022	30-June-23	14-Jun-2027	74822	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें** तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप **पूर्व** पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP110927** दिनांक **15/06/2022** की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय **लिया** गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP110927** दिनांक **15/06/2022** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

16. **प्रकरण क्र. 9324/2022 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री सत्येन्द्र सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल** (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 12.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 614, ग्राम भारकच्छकलां, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	*Case No*	*EC issued Date*	*EC validity mentioned in EC*	*To be extended upto*	*EC quantity (Cum)*	*CER/Plantation*
Bharkachha Kalan	*9324/2022*	*06-April-2023*	*30-June-23*	*05- April-2028*	*150000*	*Partially completed*

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।

6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC23B001MP128053 दिनांक 06/04/2023 की शेष अवधि दिनांक 05.04.2028 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तो के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC23B001MP128053** दिनांक **06/04/2023** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण क्र. 9332/2022 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री सत्येन्द्र सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 15.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 398, ग्राम अंडिया, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 830वी बैठक दिनांक 15.02.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Andiya	9332/2022	06-April-2023	30-June-23	05-April-2028	120000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 720वी बैठक दिनांक **05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की** गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त **विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016** में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. **EC23B001MP175348** दिनांक **06/04/2023** की शेष अवधि दिनांक **05.04.2028** तक वैधता वृद्धि **किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत** माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त **मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में** से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC23B001MP175348** दिनांक **06/04/2023** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक **व सर्व संबंधितों को** सूचित किया जाये।

18. प्रकरण क्र. 8903/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,71,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 18.107 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 352/340, ग्राम बघवाड़ा, तहसील बुधनी, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	*Case No*	*EC issued Date*	*EC validity mentioned in EC*	*To be extended upto*	*EC quantity (Cum)*	*CER/Plantation*
Baghwada	*8903/2022*	*15-jun-2022*	*30-June-23*	*14-jun-2027*	*171000*	*Partially completed*

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।

5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें। "*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में **Sustainable Sand Mining Guideline** 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP171223** दिनांक **15/06/2022** की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP171223 दिनांक 15/06/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19. **प्रकरण क्र. 8902/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,88,613 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC**

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

द्वारा अनुशंसित), रकबा 16.10 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 79, ग्राम नीलकण्ठ, तहसील नसरूल्लागंज, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Nilkanth	8902/2022	15-Jun-2022	30-June-23	14-Jun-2027	188613	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें*** *तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।

10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें। "*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में **Sustainable Sand Mining Guideline** 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति **पत्र क्र. EC22B001MP166368 दिनांक 15/06/2022** की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि **किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तो के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तो का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत** माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त **मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में** से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP166368 दिनांक 15/06/2022 में** निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व **सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

20. **प्रकरण क्र. 8393/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री शशि सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,13,400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 10.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 207, ग्राम संसारखेड़ा–2, तहसील साईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	*Case No*	*EC issued Date*	*EC validity mentioned in EC*	*To be extended upto*	*EC quantity (Cum)*	*CER/Plantation*
Sansarkheda 2	*8393/2021*	*08-Feb-2023*	*30-June-23*	*07-Feb-2028*	*113400*	*Partially completed*

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें*** *तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें। "*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 720वी बैठक दिनांक 05.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC23B000MP110836 दिनांक 08/02/2023 की शेष अवधि दिनांक 07.02.2028 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC23B000MP110836 दिनांक 08/02/2023 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

21. **प्रकरण क्र. 8303/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरनलाल लक्षकार , निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,52,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 10.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 574 पार्ट, ग्राम सारंडी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Sarandi	8303/2021	20-May-22	30-June-2023	19-May-2027	152000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*

10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP127219 दिनांक 20/05/2022 की शेष अवधि दिनांक 19.05.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तो के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत** माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त **मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में** से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP127219** दिनांक **20/05/2022** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. **प्रकरण क्र. 7863/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर सिंह तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 40,500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 7.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 54, ग्राम मूसामुण्डी, तहसील बजग, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	*Case No*	*EC issued Date*	*EC validity mentioned in EC*	*To be extended upto*	*EC quantity (Cum)*	*CER/Plantation*
Musamundi	*7863/20*	*13-May-21*	*30-June-2023*	*12-May-2026*	*40500*	*Partially completed*

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Mining Officer.

2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर*** *प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅुचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 437/SEIAA/21 दिनांक 13/05/2021 एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. 2317/SEIAA/22 दिनांक 14/12/2022 की शेष अवधि दिनांक 12.05.2026 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream***

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" **अनुसार मेजर रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

10. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

11. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 437/SEIAA/21 दिनांक 13/05/2021 एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. 2317/SEIAA/22 दिनांक 14/12/2022 में निहित समस्त शर्ते यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

23. **प्रकरण क्र. 7864/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर सिंह तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 6.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 546, ग्राम कामकोमोहनिया, तहसील डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तो (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Kamkomohniya	7864/2020	12-May-21	30-June-2023	11-May-2026	120000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।

5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 431/SEIAA/21 दिनांक 13/05/2021 एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. 2313/SEIAA/22 दिनांक 14/12/2022 की शेष अवधि दिनांक 12.05.2026 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 431/SEIAA/21 दिनांक 13/05/2021 एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. 2313/SEIAA/22 दिनांक 14/12/2022 में निहित समस्त शर्ते यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

24. **प्रकरण क्र. 8311/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरनलाल लक्षकार , निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 81,024 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 8.396 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 650 पार्ट, ग्राम सिंगोडी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Singodi	8311/2021	20-May-22	30-June-2023	19-May-2027	81024	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर** प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।*

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*

10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में **Sustainable Sand Mining Guideline** 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति **पत्र क्र. EC22B001MP125693 दिनांक 20/05/2022** की शेष अवधि दिनांक 19.05.2027 तक वैधता वृद्धि **किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तो के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यो के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत** माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त **मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में** से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP125693** दिनांक **20/05/2022** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

25. **प्रकरण क्र. 7805/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हिम्मत सिंह सिसोदिया , निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा खोदू भरू रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 7.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 25/1, ग्राम बड़गॉव, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	*Case No*	*EC issued Date*	*EC validity mentioned in EC*	*To be extended upto*	*EC quantity (Cum)*	*CER/Plantation*
Badgaon	7805/2021	19-Dec-2021	30-June-2023	18-Dec-2026	30000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Mining Officer.

2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में **Sustainable Sand Mining Guideline** 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. **EC21B001MP157896** दिनांक **19/12/2021** एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. **2777/SEIAA/23** दिनांक **08/02/2023** की शेष अवधि दिनांक 18.12.2026 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC21B001MP157896 दिनांक 19/12/2021 एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. 2777/SEIAA/23 दिनांक 08/02/2023 में निहित समस्त शर्ते यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

26. **प्रकरण क्र. 7808/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हिम्मत सिंह सिसोदिया , निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला** भोपाल (म0प्र0) द्वारा खोदू भरू रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (**SEAC** द्वारा अनुशंसित), रकबा 9.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 176, 177, 178, 179, 190, 189, ग्राम बड़गॉव–3, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि **के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तो (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	*Case No*	*EC issued Date*	*EC validity mentioned in EC*	*To be extended upto*	*EC quantity (Cum)*	*CER/Plantation*
Badgaon-3	*7808/20*	*07-Jan-2022*	*30-June-2023*	*06-Jan-2027*	*30000*	*Partially completed*

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।

7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP193890 दिनांक 07/01/2022 एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. 2795/SEIAA/23 दिनांक 08/02/2023 की शेष अवधि दिनांक 06.01.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP193890 दिनांक 07/01/2022 एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. 2795/SEIAA/23 दिनांक 08/02/2023 में निहित समस्त शर्ते यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

27. **प्रकरण क्र. 8306/2021 परियोजना प्रस्तावक दि** म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरनलाल लक्षकार , निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 33,577 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 8.869 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1014 पार्ट, ग्राम रामपायली, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Rampayali	8306/2021	20-May-2022	30-June-2023	19-May-2027	33577	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP194475 दिनांक 20/05/2022 एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. 2934/SEIAA/23 दिनांक 16/02/2023 की शेष अवधि दिनांक 19.05.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *'Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार मेजर रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत** माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त **मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में** से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

11. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP194475 दिनांक 20/05/2022** एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. **2934/SEIAA/23** दिनांक **16/02/2023 में निहित समस्त शर्ते** यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

28. प्रकरण क्र. 7807/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हिम्मत सिंह सिसोदिया , निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा खोदू भरू रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (**SEAC** द्वारा अनुशंसित), रकबा 10.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 64, 65, 67, ग्राम बड़गॉव, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	*Case No*	*EC issued Date*	*EC validity mentioned in EC*	*To be extended upto*	*EC quantity (Cum)*	*CER/Plantation*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Badgaon	7807/2020	19-Dec-2021	30-June-2023	18-Dec-2026	30000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC21B001MP123797 दिनांक 19/12/2021 एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र.

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2791/SEIAA/23 दिनांक 08/02/2023 की शेष अवधि दिनांक 18.12.2026 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल** पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं **SEAC** द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC21B001MP123797** दिनांक **19/12/2021** एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. **2791/SEIAA/23** दिनांक **08/02/2023** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

29. प्रकरण क्र. 7806/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हिम्मत सिंह सिसोदिया , निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा खोदू भरू रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (**SEAC** द्वारा अनुशंसित), रकबा 15.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 313/1/1/1, ग्राम सुलगॉव, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	*Case No*	*EC issued Date*	*EC validity mentioned in EC*	*To be extended upto*	*EC quantity (Cum)*	*CER/Plantation*
Sulgaon	*7806/20*	*13-May-2021*	*30-June-2023*	*12-May-2026*	*40000*	*Partially completed*

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें*** *तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।

6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 529/SEIAA/21 दिनांक 13/05/2021 एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. 2934/SEIAA/23 दिनांक 16/02/2023 की शेष अवधि दिनांक 12.05.2026 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 529/SEIAA/21 दिनांक 13/05/2021 एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. 2934/SEIAA/23 दिनांक 16/02/2023 में निहित समस्त शर्ते यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

30. प्रकरण क्र. 8304/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरनलाल लक्षकार , निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,82,400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 12.416 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 255 पार्ट, ग्राम कटंगटोला, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Katangtola	8304/2021	20-May-22	30-June-2023	19-May-2027	182400	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*

10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में **Sustainable Sand Mining Guideline** 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति **पत्र क्र. EC22B001MP175342 दिनांक 20/05/2022 की शेष अवधि दिनांक 19.05.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तो के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत** माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त **मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में** से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP175342 दिनांक 20/05/2022 में** निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

31. प्रकरण क्र. **7673/2020** परियोजना प्रस्तावक दि **म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि.**, अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, **निवासी** पर्यावास भवन, ब्लाक ए, **द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला** भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत **खदान** (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 27,960 घनमीटर प्रतिवर्ष **(SEAC** द्वारा अनुशंसित), **रकबा** 10.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक **266/1**, ग्राम बारकच्छ, तहसील जयसिंहनगर, **जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	*Case No*	*EC issued Date*	*EC validity mentioned in EC*	*To be extended upto*	*EC quantity (Cum)*	*CER/Plantation*
Barkachh	*7673/2020*	*22-Jan-2022*	*30-June-2023*	*21-Jan-2027*	*27960*	*Partially completed*

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Mining Officer.

2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के बीचो–बीच एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान ***'Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"*** अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

32. प्रकरण क्र. 8305/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरनलाल लक्षकार , निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,30,188 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 8.565 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 75 पार्ट, ग्राम जगपुर, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Jagpur	8305/2021	20-May-22	30-June-2023	19-May-2027	130188	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें** *तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*

10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP171790 दिनांक 20/05/2022 की शेष अवधि दिनांक 19.05.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत** माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त **मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में** से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP171790 दिनांक 20/05/2022** में निहित समस्त शर्ते यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

33. **प्रकरण क्र. 7697/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 8.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 2126/1, 2490, 2491, ग्राम बैराछ, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	*Case No*	*EC issued Date*	*EC validity mentioned in EC*	*To be extended upto*	*EC quantity (Cum)*	*CER/Plantation*
Barachh	*7697/2020*	*17-Jan-2022*	*30-June-2023*	*16-Jan-2027*	*48000*	*Partially completed*

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅुचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में **Sustainable Sand Mining Guideline** 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP152065** दिनांक **17/01/2022** की शेष अवधि दिनांक 16.01.2027 तक वैधता वृद्धि **किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP152065** दिनांक **17/01/2022** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

34. प्रकरण क्र. 9322/2022 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री सत्येन्द्र सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 79,887 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 24.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 337, 284, ग्राम पतई, तहसील देवरी, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Patai	9322/2022	06-April-2023	30-June-2023	05-April-2028	79887	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो** को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी **से प्रमाणिकृत करवाकर**प्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात्*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

ही परिवहन किया जायेगी ।

8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*

9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*

10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC23B001MP172466 दिनांक 06/04/2023 की शेष अवधि दिनांक 05.04.2028 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत** माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त **मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में** से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC23B001MP172466 दिनांक 06/04/2023 में** निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी **परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

35. **प्रकरण क्र. 8626/2021** परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री **प्रमोद सक्सेना, निवासी** पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 32,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 6.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1763, 95/1, ग्राम गोबरी, तहसील जैतहारी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Gobri	8626/2021	20-Dec-2022	30-June-2023	19-Dec-2027	32000	Partially

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

						completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें** *तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 190 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान ***"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"*** अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

36. **प्रकरण क्र. 8625/2022 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 40,500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 6.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 164, ग्राम चोलना, तहसील जैतहारी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Cholna	8625/2021	20-Dec-2022	30-June-2023	19-Dec-2027	40500	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें*** *तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।

7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP166712 दिनांक 20/12/2022 की शेष अवधि दिनांक 19.12.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"*** अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर एवं स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से दोनो ओर न्यूनतम 500 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

11. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP166712 दिनांक 20/12/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

37. प्रकरण क्र. 8394/2022 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री शशि सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 64,800 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 6.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 276, ग्राम पनागर–2, तहसील गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Panagar-2	8394/2021	08-Feb-2023	30-June-2023	07-Feb-2028	64800	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें*** *तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*

10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में **Sustainable Sand Mining Guideline** 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति **पत्र क्र. EC23B000MP114182 दिनांक 08/02/2023 की शेष अवधि दिनांक 07.02.2028 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC23B000MP114182** दिनांक **08/02/2023** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

38. **प्रकरण क्र. 8663/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 96,480 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.360 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 75/78, 37/77, ग्राम मानपुर, तहसील अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	*Case No*	*EC issued Date*	*EC validity mentioned in EC*	*To be extended upto*	*EC quantity (Cum)*	*CER/Plantation*
Manpur	*8663/2021*	*20-Dec-2022*	*30-June-2023*	*19-Dec-2027*	*96480*	*Partially completed*

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Mining Officer.

2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में **Sustainable Sand Mining Guideline** 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP140630** दिनांक **20/12/2022** की शेष अवधि दिनांक 19.12.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP140630** दिनांक **20/12/2022** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

39. **प्रकरण क्र. 7543/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री रमाकांत पाण्डे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 46,080 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 9.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1, 360, ग्राम अजीता, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Ajeeta	7543/2020	07-April-2021	30-June-2023	06-April-2026	46080	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*

10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 325/SEIAA/21 दिनांक 07/05/2021 एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. 348/SEIAA/22 दिनांक 10/05/2022 की शेष अवधि दिनांक 06.05.2026 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तो के परिपालन हेतु नियमानुसार

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 325/SEIAA/21 दिनांक 07/05/2021 एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. 348/SEIAA/22 दिनांक 10/05/2022 में निहित समस्त शर्ते यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

40. **प्रकरण क्र. 8624/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 70,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 6.082 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1214, 1215, ग्राम पासन, तहसील अनूनपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	*Case No*	*EC issued Date*	*EC validity mentioned in EC*	*To be extended upto*	*EC quantity (Cum)*	*CER/Plantation*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Pasan	8624/2021	20-Dec-2022	30-June-2023	19-Dec-2027	70,000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. ***ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें*** *तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

पत्र क्र. EC22B001MP172422 दिनांक 20/12/2022 की शेष अवधि दिनांक 19.12.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान** ***'Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"*** **अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

10. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

11. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. EC22B001MP172422 दिनांक 20/12/2022 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

41. **प्रकरण क्र. 8377/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अर्जुन श्रीवास्ताव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 74,803 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 20.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 649, ग्राम निनोर, तहसील रेहटी , जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Ninor	8377/2022	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	74803	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।*
9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*
10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 721वी बैठक दिनांक **06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की** गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित **अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline** 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP189255 दिनांक 15/06/2022** की शेष अवधि दिनांक 14.06.2027 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।**

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC22B001MP189255** दिनांक **15/06/2022** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

42. **प्रकरण क्र. 9323/2022 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री** सत्येन्द्र सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3,00,174 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 20.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 475, ग्राम गौरामरूछई, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता **वृद्धि के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Goramchuwai	9323/2022	06-April-2023	30-June-2023	05-April-2028	300174	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. *Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.*
2. *CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.*
3. *Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.*
4. *ई.सी की समस्त शर्तो का एवं दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकरप्रत्येक06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।*
5. *खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्राा में रेत खनन नहीं किया जावें।*
6. *नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाडियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।*
7. *रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।*
8. *खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

9. *रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।*

10. *राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तो के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तो के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 की विशेष शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तो के साथ प्रकरण में Sustainable Sand Mining Guideline 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप **पूर्व** पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. **EC23B001MP177250** दिनांक **06/04/2023** की शेष अवधि दिनांक 05.04.2028 तक वैधता वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामसभा से अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अनिवार्यतः परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में **उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत** माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त **मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में** से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

10. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. **EC23B001MP177250** दिनांक **06/04/2023** में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष